प्रेषक,

जिलाधिकारी,
पिथौरागढ़।

142

सेवा में,

RAHUL VERMA
Advocate [LL.M.]
137, Tower no.10
SUPREME ENCLAVE
MAYUR VIHAR PHASE-1
Delhi-110091

संख्या–4749/छब्बीस–वन/2022–23 दिनांक 25 अप्रैल 2023

विषय– मा0एन0जी0टी0 द्वारा मूल आवेदन संख्या–548/2022 राम सिंह बनाम उत्तराखंड राज्य एवं अन्य में पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नई दिल्ली में योजित मूल संख्या–548/2022 राम सिंह बनाम उत्तराखंड राज्य एवं अन्य में पारित आदेश के अनुपालन में उप जिलाधिकारी धारचूला से आख्या प्राप्त की गयी। उप जिलाधिकारी धारचूला द्वारा प्रकरण में अपने पत्र संख्या–514/र0का/पर्यटन विभाग–भूमि–प्रस्ताव/2023 दिनांक 18.04.2023 के द्वारा आख्या/प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया। उप जिलाधिकारी धारचूला द्वारा अपनी आख्या से अवगत कराया गया है कि तहसील धारचूला अन्तर्गत ग्राम दुग्तु में पर्यटन विभाग को वाह्य सहायतित योजना अन्तर्गत पंचाचूली बेस कैम्प समीप 05 एफ.आर.पी.हट्स की स्थापना हेतु राज्य सरकार की 0.100 हे0 भूमि आवंटित आवंटित की गई थी। किन्तु तत्समय पर्यटन विभाग द्वारा आवंटित स्थल पर हट्स की स्थापना न करते हुए अन्यत्र हट्स की स्थपना की गई। वर्तमान में पूर्व में आवंटित स्थल पर सोबला–तेदांग मोटर मार्ग का निर्माण किया जा चुका है। मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश में निर्मित हट्स से सम्बन्धित भूमि को पर्यटन विभाग को हस्तान्तरित किये जाने के निर्देश दिये गये है।

पर्यटन विभाग को वाह्य सहायतित योजना में निर्मित हट्स हेतु उप जिलाधिकारी धारचूला द्वारा ग्राम दुग्तु के गैर ज0वि0ख0खा0सं0–59 के खसरा संख्या–2117 मध्ये रकवा 0.070 हे0श्रेणी 9(3)ड़ बंजर काबिल आबाद किस्म की भूमि को पर्यटन विभाग को हस्तान्तरण किये जाने हेतु नक्शा,खसरा,व खतौनी नकल सहित अपनी संस्तुति के साथ प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

उप जिलाधिकारी धारचूला से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर इस कार्यालय के आदेश संख्या–1486/सात–86/2014–15 दिनांक 19 अप्रैल 2023 से गैर ज0वि0ख0खा0सं0–59 के खसरा संख्या–2117 मध्ये रकवा 0.070 हे0 श्रेणी 9(3)ड़ बंजर काबिल आबाद किस्म की भूमि को वित्त अनुभाग–3 के शासनादेश संख्या–260/वित्त अनुभाग–3/2002 दिनांक 15.02.2002 व पर्यटन विभाग की सहमति के क्रम में निशुल्क हस्तान्तरण किये जाने के निर्देश निर्गत किये गये है। आदेश की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। कृपया मा0राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नई दिल्ली के संज्ञान में लाने का कष्ट करें।

संलग्न–उक्तानुसार

भवदीय,

25/4/23
(फिंचा राम चौहान)
अपर जिलाधिकारी,
पिथौरागढ़।

आदेश.

राजस्व अनुभाग–2 उत्तराखण्ड शासन देहरादून के शासनादेश संख्या–1887/XVIII (II)/2015–18(169)/2015 दिनांक 30.07.2015, वित्त (वे.आ.–सा.नि.)अनुभाग–7 के शासनादेश संख्या–111/XXVIII(7)50(39)–15/2015 दिनांक 09.07.2015 तथा शासनादेश संख्या–496/XVIII(II)/2020–08(63)/2016 दिनांक 28.07.2020 में निहित प्राविधानों के आधार पर तहसील धारचूला के ग्राम दुग्तू में निर्मित एफ.आर.पी. हट्स से सम्बन्धित ग्राम दुग्तू पट्टी दुग्तू तहसील धारचूला के गैर जमींदारी विनाश खतौनी खाता संख्या–59 श्रेणी–9(3)ड़ बंजर काबिल आवाद के खेत नम्बर 2117 मध्ये रकवा 0.070 हे0 राज्य भूमि को वित्त अनुभाग–3 के शासनादेश संख्या–260/वित्त अनुभाग–3/2002 दिनांक 15.02.2002 एवं पर्यटन विभाग की सहमति के क्रम में निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन पर्यटन विभाग, उत्तराखण्ड को निःशुल्क हस्तान्तरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

1. भूमि पर कोई धार्मिक अथवा ऐतिहासिक महत्व की इमारत, वृक्ष न हो।
2. जिस परियोजना के लिए भूमि हस्तान्तरित की जा रही है वह एक अनुमोदित परियोजना हो और उसके लिए शासन से सहमति प्राप्त हो चुकी है।
3. हस्तान्तरित भूमि यदि प्रस्तावित कार्य से भिन्न प्रयोजन के लिए उपयोग की जाये तो उसके लिए मूल विभाग से पुनः अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
4. यदि भूमि की आवश्यकता न हो या 03 वर्षो तक हस्तान्तरित भूमि प्रस्तावित कार्य के लिए उपयोग में नही लायी जाती है तो वह मूल विभाग में स्वतः ही निहित हो जायेगी तथा आदेश दिनांक 1739/सात–86/2014–15 दिनांक 15.09.2015 द्वारा एफ. आर.पी. हट्स के निर्माण हेतु पर्यटन विभाग के नाम स्वीकृत खेत नम्बर 2630 मध्ये 0.100 हे0 भूमि सम्बन्धी स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।
5. जिस प्रयोजन हेतु भूमि हस्तान्तरित की जा रही है उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु किसी अन्य व्यक्ति, संस्था, समिति अथवा विभाग आदि को हस्तान्तरित नही की जायेगी।
6. जिस प्रयोजन हेतु भूमि आवंटित की जा रही है उसकी पूर्ति के उपरान्त यदि भूमि अवशेष पड़ी रहती है, तो मूल विभाग को उसे वापस लेने का अधिकार होगा।
7. प्रश्नगत भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधान लागू होने की दशा में भूमि के उपयोग का परिवर्तन गैर वानिकी कार्य हेतु तभी अनुमन्य होगा जब उक्त अधिनियम के अन्तर्गत नियत प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर ली जायेगी।
8. प्रश्नगत नॉन जेड.ए. भूमि आवंटन के पूर्व जमीदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 132 के समकक्ष एवं अन्य सुसंगत प्राविधानों का अनुपालन उप जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
9. इस संबंध में सिविल अपील संख्या–1132/2011(एस.एल.पी.)/सी संख्या–3109/2011 श्री जगपाल सिह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य तथा सिविल अपील संख्या–436/2011@SLP (C) N0.20203/2007 झारखण्ड राज्य व अन्य बनाम पाकुर जागरण मंच व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक जनवरी 2011 एवं अन्य संगत निर्देशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
10. आवंटन की अवधि समाप्त होने अथवा उपरोक्त शर्तो के बिन्दु संख्या–01 से 09 में से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में प्रश्नगत भूमि निर्माण सहित राजस्व विभाग में निहित हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नही होगा।

अतः उक्तानुसार स्वीकृत भूमि का सीमांकन कर याचक विभाग के नाम हस्तान्तरण एवं नामांन्तरण की कार्यवाही शीघ्र सुनिश्चित की जाय।

दिनांक अप्रैल 19, 2023

(रीना जोशी)
जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।

क्रमशः....02 पर/

कार्यालय जिलाधिकारी पिथौरागढ़।

संख्या– 1486 / सात–86 / 2014–15 दिनांक अप्रैल 19 , 2023

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. सचिव, पर्यटनविभाग, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
2. उप जिलाधिकारी धारचूला।
3. जिला पर्यटन विकास अधिकारी, पिथौरागढ़।
4. तहसीलदार धारचूला को इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत भूमि का सीमांकन क प्रस्तावक विभाग के नाम हस्तान्तरण एवं नामान्तरण सुनिश्चित करें, खसरे की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

(रीना जोशी)
जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।

विभाग सात
पत्रावली संख्या 86
वर्ष 2014-15
क्रमांक 04
पंजिका संख्या 4589
दिनांक 19/04/23